# किसान सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री की कल्याणकारी पहल

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **राजस्थान के मुख्यमंत्री ने** किसान सम्मान निधि **की दूसरी किस्त** के रूप में 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये तथा 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध की सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए जमा किये।

## मुख्य बिंदु

- **किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:**
  - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई **उपकरणों** के लिये 15,983 किसानों को 29 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये गए।
    - बाड़ लगाने, पाइपलाइन बिछाने, खेत तालाब निर्माण, जैविक खाद और कृषि उपकरण जैसी गतिविधियों के लिये 14,200 किसानों को 96 करोड़ रुपए वितरित किये गए।
    - 8,000 सौर पंपों की स्थापना के लिये 80 करोड़ रुपए आवंटित।
- **प्रगतिशील किसानों को मान्यता:**
  - मुख्यमंत्री ने केंद्र प्रायोजित ATMA योजना के तहत 10 नवोन्मेषी किसानों को सम्मानित किया।
- **कृषि में निवेश:**
  - जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कृषि में 58,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिये 2,500 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए।
- **किसान कल्याण हेतु प्रमुख निर्णय:**
  - 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण।
  - आठ लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये।
  - 26,000 सौर संयंत्रों की स्थापना।
  - 31 स्थानों पर फूड पार्कों के लिये भूमि का आवंटन।
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूँ, मूँग, मूँगफली और सरसों की खरीद।
- **नई योजनाओं का शुभारंभ:**
  - पशुधन बीमा योजना शुरू की गई।
  - ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन की घोषणा की गई।
  - 100 गौशालाओं में **गोबर जलाने वाली मशीनें लगाने का** कार्य आरंभ किया गया।
  - 1,000 नये दूध संग्रहण केंद्रों का शुभारंभ किया गया तथा 200 नये बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये गये।

## प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

- **परिचय:**
  - इसे भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये **24 फरवरी, 2019 को लॉन्च किया गया था।**
- **वित्तीय लाभ:**
  - देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) **के माध्यम से हर चार महीने में तीन बराबर किस्तों में 6000 रुपए प्रति वर्ष की** वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाती है।
- **योजना का दायरा:**
  - यह योजना शुरू में **2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों (SMF) के लिये थी,** लेकिन योजना का दायरा **बढ़ाकर सभी भूमिधारक किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया।**
- **वित्तपोषण और कार्यान्वयन:**
  - यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
  - इसका क्रियान्वयन **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।**
- **उद्देश्य:**
  - प्रत्येक फसल चक्र के अंत में **प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने** के लिये

विभिन्न इनपुट प्राप्त करने में छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।

- उन्हें ऐसे व्यय को पूरा करने के लिये साहूकारों के चंगुल में फँसने से बचाना तथा कृषि गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-cms-welfare-initiatives-at-kisan-sammelan